

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3386
12.07.2019 को उत्तर के लिए
ताप विद्युत संयंत्रों हेतु पर्यावरणीय दिशानिर्देश

3386. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों हेतु पर्यावरणीय दिशानिर्देश, 1987 में जलसंकट की स्थिति पर विचार नहीं किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जलसंकट/सूखे के कारण देश में कोयला आधारित ताप-विद्युत संयंत्रों को हुए नुकसान और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को हुई क्षति का आकलन किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या बहुत से स्थापित किए जाने वाले, अथवा कार्य हेतु तैयार संयंत्र भी जलसंकट से प्रभावित होंगे;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या उक्त दिशानिर्देशों में संशोधन करके जलसंकटापन्न क्षेत्रों में ऐसे संयंत्रों की स्थापना को रोके जाने हेतु कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) वर्तमान में, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और इसके संशोधनों द्वारा शासित की जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ईआईए अध्ययन करने हेतु विचारार्थ-विषय को निर्धारित करते समय जल स्रोत सततता से संबंधित अध्ययन, नीचे पायदान वाले उपभोगकर्ता का प्रतिभागी विवरण और सभी अन्य प्रयोगकर्ताओं के जल की उपलब्धता पर निकासी के प्रभाव को निर्धारित किया गया है। अंतिम मूल्यांकन के दौरान, स्रोत वहनीयता अध्ययन की गहन रूप से जाँच की जाती है और पर्यावरणीय स्वीकृति केवल ई-प्रवाह सहित अन्य सक्षम प्रयोगताओं की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद और राज्य जल संसाधन विभाग से जल से विद्युत बनाने वाले संयंत्र के निश्चित आबंटन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 2018-2019 और वित्तीय वर्ष 2018-19 (जून तक) के दौरान अशोधित जल की कमी के कारण निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों का संचालन प्रभावित हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपयोग काल के विवरण के कारण अशोधित जल की कमी					
क्र.सं.	राज्य	स्टेशन	इकाई सं.	क्षमता (एम डब्ल्यू)	अवधि(दिन)
1	राजस्थान	छाबरा टीपीपी	2	250	5.38
2	महाराष्ट्र	चंद्रपुर एसटीपीएस	3	210	149.99
		चंद्रपुर एसटीपीएस	4	210	125.06
		चंद्रपुर एसटीपीएस	5	500	1.31
		चंद्रपुर एसटीपीएस	6	500	7.77
		चंद्रपुर एसटीपीएस	7	500	5.16
3	कर्नाटक	रायचूर टीपीएस	2	210	44.08
		रायचूर टीपीएस	8	250	25.77
4	तमिलनाडु	कोविकलपलसीसीपीपी	2	38.23	5.42
एम डब्ल्यू में कुल प्रभावित उत्पादन क्षमता				2668.23	
वित्तीय वर्ष 2019-20 में जून तक जल की आपूर्ति की कमी के कारण उत्पादन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आया है।					

(घ) और (ड.) पर्यावरणीय स्वीकृति की ग्रांट के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं विचाराधीन हैं जिसमें जल वहनीयता अध्ययन का मूल्यांकन शामिल है।

क्र.सं.	परियोजना विवरण	जल की आवश्यकता और स्रोत
1.	मैसर्स दि वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि. द्वारा एम डब्ल्यू जिला मुर्शिदाबाद, पं. बंगाल में 1x660 सागरदिघी ताप विद्युत परियोजना	46,536 एम ³ /दिन भागीरथी नदी से
2.	मैसर्स सिंगरानी कोलरीज कंपनी लि. द्वारा एम डब्ल्यू मनचेरेयली जिले में 1x800 सिंगरानी ताप विद्युत संयंत्र	48,000 एम ³ /दिन प्रानहिता नदी से
3.	मैसर्स रोकेटी रिद्धी सिद्धी प्रा.लि. द्वारा बेलागावी जिले में 12 मेगावाट सह-उत्पादन विद्युत परियोजना	720 एम ³ /दिन घाटप्रभा नदी से
4.	726.6 मैसर्स ओएनजीसी विद्युत कंपनी लि. द्वारा गोमती जिले, त्रिपुरा में गैस आधारित विद्युत परियोजना	20,400 एम ³ /दिन गुमती नदी से

(च) मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7.12.2015 और 28.6.2018 द्वारा सभी मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों (समुद्र का जल प्रयोग करने वाले संयंत्रों को छोड़कर) को कूलिंग टावर (सी टी) लगाने अनिवार्य होंगे और दो साल की अवधि में 3.5 एम³/एम डब्ल्यू एच के अधिकतम तक पानी के विशिष्ट सेवन प्राप्त करना होगा। यद्यपि, 1 जनवरी, 2017 के बाद स्थापित किए हुए नए विद्युत संयंत्र (समुद्र का जल प्रयोग करने वाले संयंत्रों को छोड़कर) शून्य अपशिष्ट जल निर्वहन को प्राप्त करने के लिए 3.0 एम³/एम डब्ल्यू एच की अधिकतम की पानी की विशिष्ट खपत को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, विद्युत संयंत्रों में कई जल संरक्षण के उपाय हैं जैसे कि ऐश वॉटर सर्क्यूलेशन प्रणाली, ड्राई फ्लाइ ऐश हैंडलिंग प्रणाली, उच्च सांद्रण गारा निपटान प्रणाली, कूलिंग टॉवरों में सांद्रणों के उच्च चक्र को प्राप्त करनेके लिए, जल की कमी

वाले क्षेत्रों में एयर कूल्ड कंडेन्सरो को लगाने की सिफारिश करना आदि इन सभी को जल सेवन को कम करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।
